सेवा में,

पत्रांक 30/2021

श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय,/राज्य मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी,
राज्य उत्तरप्रदेश, स्थित 808, जवाहर भवन, लखनऊ।

''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा : 06 (01) (ख) के प्राविधानानुसार प्रमाणित प्रतियों के रूप में सूचना हेतु आवेदन–पत्र।

महोदय,

आवेदक को उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवम् धारा के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतियों के रूप में आवष्यकता है। ''उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवम् लागत विनियम) नियमावली, 2006'' के नियम : 04 के प्राविधानानुसार ''प्रार्थना पत्र शुल्क'' राशि रूपये दस मात्र की अदायगी हेतु भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या:54F 338674 दिनांक :13.02.2021 डाकघरः लखीमपुर, द्वारा दिनांक :13.02.2021, को जारी एवम् : लखीमपुर के मुख्य डाकघर पर भुगतान योग्य, मूल रूप में संलग्न है।

कृपया ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा : 07 (03) (क) के प्राविधानानुसार उक्त वांछित सूचनाओं निमित्त देय ''सूचना प्राप्ति शुल्क'' राषि की जानकारी भी आवेदक को अपने पत्र द्वारा तत्काल देने का कश्ट करें। जिससे उसे षीघ्र जमा कर सूचनायें प्राप्त की जा सकें।

वांछित सूचनाओं का विवरण निम्नांकित है :–

1–क्षेत्रीय मध्यनिषेध अधिकारी श्री रमलोटन राजवंशी के द्वारा अपने कार्यकाल में जिन–जिन मण्डलों में अपनी सेवा के दौरान एनजीओ के अनुदान के प्रस्तावों की भैतिक जाच के उपरांत एनजीओ को स्वीकृत किए गए उन सभी प्रस्तावों व उसमें स्वीकृत धनराशि की प्रतिलिपि की प्रमाणित सूचना प्रदान करायी जावे?

2–क्षेत्रीय मध्यनिषेध अधिकारी श्री रमलोटन राजवंशी के द्वारा अपने कार्यकाल में जिन–जिन मण्डलों में अपनी सेवा के दौरान एनजीओ के अनुदान के प्रस्तावों की भैतिक जाच के उपरांत एनजीओ को प्राप्त धनराशि वाले एनजीओ मौके पर अस्तित्व है, या नहीं, उसकी प्रतिलिपि की प्रमाणित सूचना प्रदान करायी जावे?

3–क्षेत्रीय मध्यनिषेध अधिकारी श्री रमलोटन राजवंशी के द्वारा अपने कार्यकाल में जिन–जिन मण्डलों में अपनी सेवा के दौरान एनजीओ के अनुदान के प्रस्तावों की भैतिक जाच के उपरांत एनजीओ को प्राप्त धनराशि वाले एनजीओ मौके पर यदि अस्तित्व में नही है, तो उसकी सूचना कर्यालय/विभाग को लिखित रुप ते किस तिथ को हुई। उसकी प्रतिलिपि की प्रमाणित सूचना प्रदान करायी जावे?

4–आवेदक को पेराग्राफ 1 व 2 व 3 में माँगी गयी सूचना के उपरोक्त अभिलेखों की सत्यछायाप्रति पर कुल कितनी धनराशि अदा करना हैं उसकी भी प्रमाणित सूचना प्रदान करायी जावे?

कृपया वांछित सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Chandan

आवेदक–

[redacted]

रु 10/- पोस्टल आर्डर प्राप्त
9-3-21

संलग्नः– उपरोक्तानुसार,10.00/रू0 के मूल पोस्टल आर्डर,

दिनांकः– 04.03.2021

(2)

सं० 1227 पी०पी० / 26
पत्र सं० 30/2021
क्र० सं० 4

सेवा में

जनसूचना अधिकारी महोदय/राज्य मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
उ0 प्र0 808 जवाहर भवन अशोक मार्ग लखनऊ।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा06(1)(ख) के प्रविधानानुसार प्रमाणित प्रतियों के रुप में सूचना हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित आपके पत्र संख्या 1067 पी0पी0/26-30/2021 मद्यनिषेध विभाग लखनऊ दिनांक 09 मार्च 2021 के सन्दर्भ मे अवगत कराना है कि मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 04-03-2021 के द्वारा जो भी सूचनायें मांगी गयी थी वह सूचनायें मुझे नही चाहियें। कृपया मेरे उपरोक्त पत्र को सज्ञान मे न लिया जाये, पत्र से सम्बन्धित मुझे कोई भी सूचना/प्रमाणित प्रति नही चाहिये।

दिनांक 23/3/21

प्रार्थी

[redacted]

ग्राम [redacted]

प्रतिलिपि निम्न समस्त को सूचनार्थ प्रेषित-

1-जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 27 अशोक मार्ग लखनऊ।

2-जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 57 ए साकेत मेरठ।

3-जनसूचना अधिकारी/क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी बी 73 जिगर कालोनी मुरादाबाद।

[redacted]

ग्रा[redacted]

थाना [redacted]

प्र0 अ0

2

25/3/21